उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–1
संख्या /XV-1/18/2(13)/2013
देहरादून : दिनाँक 02 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना एवं बाडेछीना में कार्यरत पशुचिकित्साधिकारी डा० चित्रा धीमान, पशुचि0 ग्रेड–01 तथा डा० कविता धीमान, पशुचि0 ग्रेड–01 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत लाभार्थी पशुपालकों को संकर प्रजाति की उत्तम नस्ल की दुधारू गाय उपलब्ध कराने हेतु लाभार्थियों का चयन नियमानुसार न करने, योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार न करने एवं लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति का आंकलन किये बिना अपात्र व्यक्तियों को मनमाने तरीके से चयन करने, कतिपय अपात्र व्यक्तियों के साथ दुरूभिसंधि करने, सरकारी धन का दुरूपयोग किये जाने तथा लाभार्थियों के साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से कूटरचित अभिलेख तैयार करने हेतु डा० कविता धीमान एवं डा० चित्रा धीमान के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 एवं संशोधन नियमावली, 2010 के प्राविधानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र निर्गत किये गये।

2. उक्त वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन अपर निदेशक, पशुपालन, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल को जाँच अधिकारी अधिकारी नामित किया गया था, जिनकी जाँच आख्या के अनुसार डा० कविता धीमान एवं डा० चित्रा धीमान को दोषी मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 एवं संशोधन नियमावली, 2010 के प्राविधानुसार निम्नलिखित दण्ड निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. **शासन को पहुँचायी गयी शासकीय क्षति कुल रू० 324000.00 की वसूली में रू० 162000.00 डा० चित्रा धीमान, पशुचिकित्साधिकारी, तथा 162000.00 लाख डा० कविता धीमान, पशुचिकित्साधिकारी से की जायेगी।**
2. **डा० चित्रा धीमान एवं डा० कविता धीमान की तीन वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोक दी जाए।**
3. **निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कुछ अन्य देय नहीं होगा।**

3. कार्मिक विभाग के प्रचलित शासनादेश सं0–1452/XXX(2)/2005, दि0 21 जुलाई, 2005 के व्यवस्थानुसार डा० चित्रा धीमान एवं डा० कविता धीमान की उपरोक्त शास्तियों के संबंध में अपने परामर्श से अवगत कराये जाने हेतु लोक सेवा आयोग को उक्त अधिकारियों को निर्गत आरोप पत्र, जाँच अधिकारी की जाँच आख्या की प्रति प्रेषित की गई तथा उक्त शास्तियों के संबंध में लोक सेवा आयोग, हरिद्वार से शासन के प्रेषित पत्र सं0–1050/XV-1/2014/2(5)/2011 टी0सी0, दि0 15.09.14 एवं उक्त के कम में प्रेषित विभिन्न पत्र सं0–412/XV-1/2014/2(5)/2011 टी0सी0, दि0 01.05.15, सं0–659/XV-1/2014/2(5)/2011 टी0सी0, दि0 23.07.15, सं0–761/XV-1/2014/2(5)/2011 टी0सी0, दि0 24.01.15, सं0–354/पी0एस0/प्रभा0स0/2016, दि0 28.01.16 तथा सं0–351/XV-1/2016/2(13)/2013, दि0 29.04.16 द्वारा परामर्श चाहा गया।

4. उक्त पशुचिकित्साधिकारियों पर अध्यारोपित शास्तियों एवं जॉच आख्या पर लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्र सं0–210/01/ए0डी0सी0/सेवा–1/2014–15, दि0 29.4.16 के द्वारा अहसमति व्यक्त की गयी। शासन द्वारा अपने पत्र सं0–476/नि0स0/अ0मु0स0/2016, दि0 20.05.16 के माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा उक्तानुसार प्रदत्त परामर्श पर पुनर्विचार किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त अपेक्षा के कम में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा द्वारा अपने पत्र सं0–476/01/ए0डी0सी0/सेवा–1/2014–15, दि0 08.11.16 के माध्यम से अपने पूर्व विनिश्चय